प्रेस नोट **दिनांक 13.11.2020**

सराहनीय कार्य जनपद बागपत

थाना बिनौली क्षेत्रान्तर्गत जंगल ग्राम फतेहपुर पुटठी में युवक की हत्या कर षव फेक देने की घटना का सफल अनावरण, हत्या में संलिप्त 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल अवैध 03 तमंचे मय कारतूस व घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण :–

दिनांक 12.11.2020 को वादी सचिन राणा पुत्र विनोद निवासी ग्राम धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जनपद बागपत ने थाना बिनौली पर लिखित सूचना दी कि मेरे भाई विक्रान्त उर्फ विक्की उम्र करीब 20 वर्ष को दिनांक 08.11.2020 को समय करीब 12:30 बजे किसी कार्य के लिए नितिन राठी पुत्र जसवीर व नितिन षर्मा उर्फ हैचा पुत्र अषोक षर्मा निवासीगण ग्राम धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जनपद बागपत बुलाकर ले गये थे, जो घर वापिस नही आया। इस सम्बन्ध में सचिन राणा द्वारा दिनांक 11.11.2020 को थाना बिनौली पर गुमषुदगी दर्ज कराई थी। इसके पष्चात दिनांक 12.11.2020 को विक्रान्त का षव ग्राम फतेहपुर पुटठी के जंगल में नहर की पटरी के पास देषपाल के गन्ने के खेत में मिला। इस सूचना के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0स0 326/2020 धारा 302 भादवि बनाम 1–नितिन राठी पुत्र जसवीर 2–नितिन षर्मा उर्फ हैचा पुत्र अषोक षर्मा निवासीगण ग्राम धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जनपद बागपत के विरूद्व अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता :–

1–नितिन राठी पुत्र जसवीर निवासी ग्राम धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जनपद बागपत
2–नितिन षर्मा उर्फ हैचा पुत्र अषोक निवासी ग्राम धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जनपद बागपत
3–आषीष पुत्र सुदेष निवासी ग्राम धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण :–

1–हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल 03 तमंचे (02 तमंचे 315 बोर व 01 तमंचा 12 बोर)मय 03 जिंदा कारतूस 02 खोखा कारतूस।
2–घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 डिस्कवर नम्बर–एचआर–10जी–3240

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण :–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय एवं अपर पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय के आदेशानुसार क्षेत्राधिकारी बागपत के कुशल निर्देशन में प्रकाष मे आये तथ्यों एवं प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर थाना बिनौली पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर घटना का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 13.11.2020 को सुबह समय करीब 07:00 बजे मुखबिर की सूचना पर फतेहपुर पुटठी धनौरा तिराहा से हत्या की घटना में संलिप्त अभियुक्त 1–नितिन राठी पुत्र जसवीर 2–नितिन षर्मा उर्फ हैचा पुत्र अषोक 3–आषीष पुत्र सुदेष निवासीगण ग्राम धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जनपद बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल 03 तमंचे (02 तमंचे 315 बोर व 01 तमंचा 12 बोर) मय 03 जिंदा कारतूस 02 खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 डिस्कवर नम्बर–एचआर–10जी–3240 किया गये है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ के दौरान प्रकाष में आये तथ्य :–</u>

पूछताछ के दौरान अभियुक्त नितिन राठी ने बताया कि मृतक विक्रान्त उर्फ विक्की उसका पुराना दोस्त था। इनका आपस में घर आना–जाना व पारिवारिक मेल–जोल था। पारिवारिक मेल–जोल होने के कारण मृतक विक्रान्त उर्फ विक्की, नितिन राठी की बहन से बात करने लगा एवं सम्पर्क बना लिया था। जो नितिन राठी को पसंद नही था। नितिन राठी की बहन की मृत्यु करीब डेढ वर्ष पूर्व हो गयी थी। मृत्यु के पष्चात से ही नितिन राठी मृतक विक्रान्त उर्फ विक्की से रंजिष रखने लगा था। जिसके चलते दोनो का आपस में सम्बन्ध भी टूट गया था। लेकिन नितिन राठी की मृतक विक्रान्त उर्फ विक्की से बदला लेने की भावना बनी रही। बदला लेने की भावना से नितिन राठी ने पुनः घटना से करीब 20 दिन पूर्व विक्रान्त उर्फ विक्की से मित्रता षूरू की। जिससे नितिन राठी अपनी मित्रता के मायाजाल में विक्रान्त उर्फ विक्की को फसाकर उसकी हत्या कर सके। नितिन राठी ने यह बात अपने दोस्त नितिन षर्मा व आषीष को बतायी। घटना के दिनांक 08.11.2020 को समय करीब 12:30 बजे नितिन राठी ने अपनी डिस्कवर मो0सा0 पर नितिन षर्मा को बैठाकर मृतक विक्रान्त के घर पहुंचा और विक्रान्त को मो0सा0 पर बैठाकर चला तो कुछ दूरी पर कब्रिस्तान के पास उन्हे आषीष मिला ये चारों एक साथ मो0सा0 पर सवार होकर बडका गांव होते हुए ग्राम फतेहपुर पुटठी में खेतों के जंगल में समय करीब 04:00 सायं पहुंचे। नितिन राठी, नितिन षर्मा व आषीष के पास तमंचे थे। वहां पहुंचकर इन्होने सुल्फे आदि नषे का सेवन किया। पूर्व योजना के अनुसार इन तीनो ने विक्रान्त को अधिक नषे का सेवन कराया। जिससे मृतक विक्रान्त उर्फ विक्की को नषा चढते ही नितिन राठी व नितिन षर्मा ने अपने पास रखे तमंचों से विक्रान्त उर्फ विक्की को तभी गोली मार दी। उसके पष्चात तीनो घर वापिस आ गये।